

15.02.2022

आज पत्रावली वादी द्वारा विद्वानों के पत्र के उद्धृत किये जाने पर केवल पत्रावली (वादी) अपने वाद-पत्र को आगे नहीं चलाये व इसी स्तर पर निस्तब्ध रहने हेतु निवेदन किया है। अतः पत्रावली वादी निस्तब्ध दिनांक 12.03.2022 को लोक अदालत से पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

12.3.22

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत महवा में पेश हुई। वादी द्वारा दि 15.2.22 को पत्रावली वादत विद्वानों किये जाने का दावा पेश किया गया कि वह अपने मुकदमा में कोई कार्यवाही करवाना नहीं चाहते हैं तथा दावे को विद्वानों किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अतः वादी का पत्रावली-पत्र वादत विद्वानों किये जाने का दावा स्वीकार किया जाता है। तथा पत्रावली में कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द की जाती है। पत्रावली फैसला सुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
महवा (दौसा)